झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–2 / पी॰एम॰सी॰ / आवंटन–45 / 2008 (P-I)..... / राँची, दिनांकः .....

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड,
पो० हिनू, राँची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषयः– **विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यो के लिये 40,00,000/- (चालीस लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश – **स्वीकृत।**

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्टीय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप, कृषक जागरूकता अभियानों एवं प्रशिक्षणों में भाग लेने तथा विभागीय स्तर पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता बढाने के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में एक निश्चित अन्तराल पर प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना है। साथ ही विभाग में उत्कृष्ठ कार्यो के लिए मूल्यांकन (Evaluation) के आधार पर पदाधिकारियों को पुरस्कृत / प्रशस्ति पत्र दिये जाने की भी योजना है। यह प्रशिक्षण आवश्यकतानुसार दूसरे राज्यों के उच्च स्तर के संस्थानों में भी प्रस्तावित है। साथ ही विभाग में उत्कृष्ठ कार्यों के लिए मूल्यांकण (Evaluation) के आधार पर अभियंताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, कृषकों, जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों इत्यादि को पुरस्कृत करने / प्रशस्ति पत्र दिये जाने की भी योजना है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों / संगठनों, CADWM एवं सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों (Water User Association, wua's) के उद्येश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप के लिये राशि का भी प्रवधान किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर कृषकों / जल उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों को बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, प्रशिक्षण इत्यादि में भाग लेने का प्रावधान भी इसमें शामिल है। साथ ही, जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी० आई० एस० कोड की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की खरीद, सी० बी० आई० पी०, तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों का क्रय करने तथा उसके संधारण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की उपलब्धियों तथा इस वर्ष की कार्य योजना

से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, विभाग के स्तर से निर्धारित की जानेवाली नीतियों से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, PIM की पुस्तिका का प्रकाशन तथा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले विज्ञापनों पर होने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है।

सी0 पी0 एम0, पर्ट, जल विज्ञान, जलीय संरंचनाओं का रूपांकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (STADD.PRO, Auto CAD, Arc GIS) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियेाजना तैयार करने, झारखंड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन तथा राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करने की भी आवश्यकता है। उपरोक्त कार्य हेतु जिसकी विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–I पर अंकित है, के लिए रू० 40.00 (चालीस) लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस प्रस्ताव पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष के अधीन भारित होगा :–

(I)	49S470180796690321	-	Rs. 20,00000.00
(II)	49S470180003690321	-	Rs. 20,00000.00
	TOTAL	-	Rs. 40,00000.00

3. (क) जिस प्रक्षेत्र के लिए राशि की निकासी होगी उसी प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता, नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

(ख) इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, राँची / सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह / गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज / सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डु शिविर–महागामा / खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर / समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं0–2, राँची / उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण (सिंचाई) प्रमण्डल, राँची / कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट / कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर होंगे। राशि की निकासी प्रमण्डल से संबंधित क्षेत्र के कोषागार से होगी।

4. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

5. वितीय वर्ष 2018–19 में प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमिनार मद में 40.00 लाख (चालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध है।

6. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची/योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड सरकार को भेजने हेतु प्रेषित ।

अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/–
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी/उप– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस डोरण्डा, राँची, झारखण्ड/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/राँची/जमशेदपुर/हजारीबाग/उप– कोषागार पदाधिकारी, घाटशिला/तेनुघाट, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/–
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव/उप सचिव (अभि) जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/देवघर/मेदिनीनगर/ईचा–गालूडीह/चांडिल/रुपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/जलपथ अंचल, हजारीबाग/बराज अंचल, गालूडीह/खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/समग्र योजना एवं जल विज्ञान, अंचल, राँची/सिंचाई अंचल जसीडीह, शिविर–देवघर/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर–महागामा/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०–2, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/उप–निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/ई0 सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल–3, जल संसाधन विभाग, राँची को online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/–
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि)

ज्ञापांक–2/पी०एम०सी०/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उतरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल हजारीबाग/कोल्हान प्रमण्डल/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/–
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि)

ज्ञापांक–2/पी॰एम॰सी॰/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।
अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/-
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

ज्ञापांक–2/पी॰एम॰सी॰/आवंटन–45/2008 (P-I)– राँची, दिनांक –.

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता (मो०)–1, 2 एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०–1/2/3/4/5/6/7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनु०–परिशिष्ट–I

ह०/-
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

ज्ञापांक–2/पी॰एम॰सी॰/आवंटन–45/2008 (P-I)–1018 / 9 प्र॰ स्वी॰ राँची, दिनांक –. 29.05.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
अनु०–परिशिष्ट–I

29/05/2018
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)
29/05/18

पत्रांक 10/18-19 पे.खी. दिनांक 29.05.2018

परिशिष्ट – I

विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018–2019 में समय–समय पर आयोजित बैठक सम्मलेन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यो का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :

I. **जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन, इत्यादि पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण का आयोजन :**

जल संसाधन के समेकित विकास एवं प्रबंधन विषय पर राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा समय–समय पर सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित कर विभागीय अभियंताओं एवं कृषकों तथा जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को इस क्षेत्र में हुए विकास से अवगत कराने के साथ–साथ इनके तकनीकी क्षमता का विकास एवं क्षमता संवर्द्धन करना है। साथ ही विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि आवश्यक है।

II. **विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट संस्थानों द्वारा आयोजित वर्कशॉप / प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क के साथ–साथ सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों / संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पॉन्सरशिप के लिये राशि का प्रावधान :**

राज्य, राज्य से बाहर विदेशों में विशिष्ट संस्थानों द्वारा सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु निबंधन शुल्क लिया जाता है। विभागीय अभियंताओं /पदाधिकारियों तथा क्षेत्र में कृषकों एवं जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों को इन गतिविधियों में उनके तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने तथा क्षमता सवंर्द्धन के उद्देश्य से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों/संगठनों, CADWM, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (PIM), जल उपभोक्ता संगठनों द्वारा आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण हेतु स्पान्सरशिप के लिये राशि का भी प्रावधान किया गया है।

III. **जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक का आयोजन :**

पत्रांक 10/8-19 पु०स्वी० दिनांक 29.05.2018

विभाग द्वारा आंतरिक समीक्षात्मक बैठक, दामोदर घाटी जलाशय संचालन समिति, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं अन्य संस्थाओं के साथ जल संसाधन के विकास, इसके प्रभावकारी उपयोग एवं जल बंटवारा से जुड़े मुद्दों पर समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है। इन बैठकों में राज्य से बाहर एवं विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है। तकनीकी उत्कृष्ठता प्राप्त करने हेतु राज्य के बाहर एवं केन्द्रीय संगठन के प्रतिनिधियों, कंसल्टेंट्स के साथ भी विभिन्न अंतराल पर बैठकें आयोजित की जाती है।

IV. **पुरस्कार /प्रशस्ति पत्र :**

विभाग में मूल्यांकण के आधार पर अभियंताओं, अधिकारियों, कृषको, जल उपभोक्ता संगठन के सदस्यों इत्यादि को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र का भी प्रावधान किया गया है।

V. **जल संसाधन विभाग द्वारा व्यवसायिक परीक्षा का आयोजन :**

जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं की दक्षता, कार्यप्रणाली एवं उनके कार्य करने की योग्यता का आकलन करने हेत प्रत्येक वर्ष विभागीय स्तर पर दो बार व्यवसायिक एवं विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है।

VI. **बी०आई०एस०कोड, तकनीकी पुस्तकों की खरीद, विभागीय नीति विषयक पुस्तिकाओं व गत वर्ष की उपलब्धियों तथा इस वर्ष की कार्य योजना से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन का प्रकाशन, एवं विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले विज्ञापनों पर होने वाले व्यय :**

जल संसाधन के विकास एवं नदी घाटी योजनाओं पर आधारित बी०आई०एस०कोड की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी तथा इसके अद्यतन संस्करण की खरीद सी०बी०आई०पी० तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित जल संसाधन क्षेत्र के विकास एवं प्रबंधन तथा वन एवं पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी पुस्तकों की खरीद एवं संधारण। इसके अतिरिक्त गत वर्ष की उपलब्धियों तथा इस वर्ष की कार्य योजना से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, विभाग के स्तर से निर्धारित की जानेवाली नीतियों से संबंधित पुस्तिका के प्रकाशन, PIM की पुस्तिका का प्रकाशन तथा विभाग की ओर से जारी किये जानेवाले विज्ञापनों पर होने वाले व्यय का प्रावधान किया गया है।

उक्त के संधारण हेतु आलमीरा आदि के क्रय का प्रावधान है। इस हेतु मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन अंचल एवं प्रमण्डल कार्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करने हेतु टेबल, कुर्सी, पंखा, एयर क्रण्डिसनिंग, फोटो कॉपियर, कलर

पत्रांक 10/18-19 प्र.स्वी. दिनांक 29.05.2018

तथा Black & White Printer, Plotter सहित आवश्यक उपस्करों इत्यादि का क्रय करने की भी प्रावधान है।

VII. **एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की खरीद एवं रख–रखाव :**

जल विज्ञान, GIS, CPM & PERT, जल संसाधन संरचनाओं का रूपांकण, चित्राकण, वेब आधारित जलावंटन एवं नाला डायवर्सन इत्यादि का संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (STADD. PRO. Auto CAD, Arc GIS etc) का उपयोग हेतु क्रय एवं संपोषण, विस्तृत परियोजना तैयार करने, झारखण्ड राज्य के नदी बेसिनों में जल की उपलब्धता का आकलन एवं उसके अन्तर्गत पड़ने वाले जल संसाधन परियोजनाओं का टोपोशीट के सॉफ्ट कॉपी पर इन परियोजनाओं का स्थल, कैचमेंट तथा कमाण्ड एरिया को चिन्हित कर राज्य के लिये जल संसाधन एटलस तैयार करना, जल संसाधन योजनाओं के निर्माण, सम्पोषण अनुश्रवण एवं निर्मित योजनाओं के मुल्यांकण में उपयोग किया जाना है। उपरोक्त वर्णित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त विभागीय कार्यों के सुचारु रुप से निष्पादन में उपयोग में आनेवाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्रय, Installation एवं रख–रखाव (AMC) करने की योजना है।

29/05/2018
(ई० राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)
29/05/18